न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 09/2022
नारायण पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां तहसील कामां
प्रार्थी

बनाम

1. आशा देवी बेवा बालकिशन
2. महावीर प्रसाद पुत्र बालकिशन
3. अशोक कुमार पुत्र बालकिशन
4. दिनेश चन्द पुत्र बालकिशन
5. रजनी पुत्री बालकिशन
6. संगीता पुत्री बालकिशन
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र हेतराम
8. केदार पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां तहसील कामां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 23.01.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश कि न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय कामां के यहां विचाराधीन दावा आशा देवी वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण में विधिवत कानूनी प्रकिया के अनुरूप सम्मन तामील नहीं हुए जिसके सबब मुझ प्रार्थी को न्यायालय द्वारा दिनांक 4.03.1997 को मुझ प्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश की एवं मुझ प्रार्थी के खिलाफ दिनांक 6.05.1997 को पारित एक पक्षीय निर्णय डिक्री की कतई जानकारी नहीं हो सकी । अब दिनांक 25.04.2022 को अप्रार्थीगण से अपने हिस्से की आराजी मांगी तक अप्रार्थीगण ने मुझ प्रार्थी से एलानिया कहा कि हमने तेरे हिस्से की जमीन की बावत न्यायालय सहायक कलक्टर कामां के यहां तेरे पीछे से दावा करके अपने नाम करा ली अब तेरी कोई जमीन नहीं है। इस पर मैं प्रार्थी दिनांक 25.04.2022 को जिला अभिलेखागार कलैक्ट्रेट भरतपुर के यहां जानकारी करने व दिनांक 29.04.2022 को रिकार्ड रूम भरतपुर से दावा मय आर्डर सीट डिक्री व निर्णय दिनांक 6.05.1997 की नकल प्राप्त करने पर हुई । इससे पूर्व मुझ प्रार्थी को न्यायालय सहायक कलक्टर कामां के यहां विचाराधीन दावा व उनवानी आशादेवी वगेरा की कतई जानकारी नहीं थी । वाद जानकारी से मुझ प्रार्थी को प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद पेश है । यदि जानकारी से मुझ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद शुमार नहीं मानते है तो प्रार्थना पत्र पेश करने मे हुए बिलम्ब को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावे । प्रार्थना पत्र पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुये प्रार्थनापत्र को अन्दर म्याद मानते हुये स्वीकार करने की इजाजत फरमाई जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम कतई गलत तरीके से प्रावधानों के विपरीत पेश किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण के निर्णय दिनांक 6.5.1997 की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से ही थी । न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय,कामां द्वारा मुकदमा नं0 206/96 व उनवानी दावा आशादेवी वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 प्रकरण में प्रतिवादी नं0 3 था का विधि के अनुसार रजिस्ट्री एडी से दिनांक 4.12.96 को तलब किया गया तथा वाद सूचना के न्यायालय श्रीमान में उपस्थित नहीं हो सका इस प्रकार न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नं0 3 (नारायण) की एक पक्षीय कार्यवाही विधि के प्रावधान के तहत सही हुई है । बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हो सका इस प्रकार नारायण किसी प्रकार का अनुतोष का हकदार नहीं है । प्रार्थी नारायण ने दिनांक 14.03.1997 को न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय, कामां जिला भरतपुर द्वारा जो

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय एवं डिक्री हुई उसके बाद नारायण अपने अलग से अपनी हिस्से की जमीन का बयनामा दिनांक 05.07.2006 को कामां सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के यहां कराया जिस पर नारायण के हस्ताक्षर भी है और दिनांक 4.07.2006 को आपस में भाइयों का बंटवारे के समय भी नारायण कामां मे मौजूद रहा है । इस प्रकार प्रार्थी नारायण को पूरे प्रकरण की पूर्व से ही जानकारी थी । इस प्रकार प्रार्थी प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 खारिज फरमाया जावे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 को साबित करने के लिए नकल बयनामा दिनांक 5.07 2006 बटवारा नामान्तकरण की ब्लू प्रिन्ट छाया प्रति दिनांक 4.07.2006, नकल अर्जी दावा, उनवानी प्रकरण आशादेवी बनाम लक्ष्मीनारायण नम्बर 206/96, नकल जबाव दावा प्रतिवादी नं0 1 व नकल डिक्री दिनाक 6.5.97 ए0सी0एम0 कामां नकल फैसला 6.5.1997 का पेश किया है । अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे लिखित जबाव के तथ्यो को दोहराते हुए कहा कि उक्त उनवानी प्रकरण के निर्णय दिनांक 6.5.1997 की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से ही थी । न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय,कामां द्वारा मुकदमा नं0 206/96 व उनवानी दावा आशादेवी वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 प्रकरण मे प्रतिवादी नं0 3 था का विधि के अनुसार रजिस्ट्री एडी से दिनाक 4.12.96 को तलब किया गया तथा बाद सूचना के न्यायालय श्रीमान में उपस्थित नहीं हो सका इस प्रकार न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नं0 3 (नारायण) की एक पक्षीय कार्यवाही विधि के प्रावधान के तहत सही हुई है । बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हो सका इस प्रकार नारायण किसी प्रकार का अनुतोष का हकदार नहीं है । निर्णय एवं डिकी हुई उसके बाद नारायण अपने अलग से अपनी हिस्से की जमीन का बयनामा दिनांक 05.07.2006 को कामां सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के यहां कराया जिस पर नारायण के हस्ताक्षर भी है और दिनांक 4.07.2006 को आपस में भाइयों का बंटवारे के समय भी नारायण कामां में मौजूद रहा है । इस प्रकार प्रार्थी नारायण को पूरे प्रकरण की पूर्व से ही जानकारी थी । इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 खारिज फरमाया जावे । इस बावत नजीर आर0आर0टी0पेज.नं.866 , 2014 (2)आर.आर0टी0866राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ब्रान्च अश्वनि मूलराज कामदार (डा0)बनाम विवेकचौधरी एस0बी0रिट पिटीशन नं0 155 से 2011 निर्णय दिनांक 18.11.2013

हमने पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया तो प्रार्थी का । न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय,कामां द्वारा मुकदमा नं0 206/96 व उनवानी दावा आशादेवी वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 में प्रार्थी को रजिस्टर ए0डी के द्वारा सूचित किया गया । बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना व बयनामा दिनांक 05.07.2006 को कामां सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के उपस्थित होकर कराया जाना तथा उक्त उनवानी प्रकरण के निर्णय दिनांक 6.5.1997 की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से होना तथा इतना समय व्यतीत होने के पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम 5 को खारिज किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि दिनांक 05.07.2006 को कामां सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के उपस्थित होकर कराया जाना तथा उक्त उनवानी प्रकरण के निर्णय दिनांक 6.5.1997 की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से होना तथा इतना समय व्यतीत होने के पश्चता प्रार्थना पत्र पेश किया जाना जो उचित नहीं है , अतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम 5 को खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र मिसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)